न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—266/2018/223 (2018/00266)

1. श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नि स्व0 कानसिंह,
2. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह,
3. भवानी सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह,
4. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 कानसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बुद्धाराम पुत्र चौथाराम, जाति जाट, निवासी बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भांवता, जिला अजमेर जरिये मैनेजर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 22.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 30/2016.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील अपीलांटस ।
2. श्री भींयाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण के पेश कर कथन किया कि ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन में स्थित खाता संख्या नया 179 पुराना 82 में खसरा नंबर 1661 रकबा 0.20 है0, खसरा नबर 1662 रकबा 0.13 है0, 1666 रकबा 0.13 है0, 1667 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि में वादी/रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा है जिस पर संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य है । प्रतिवादी/अपीलांट संयुक्त खातेदारी भूमि का बिना विभाजन कराये विशेष भाग पर निर्माण करने एवं विशेष भूभाग को विक्रय करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा किया जाकर वादी को खसरा नंबर 1661 व 1662 के कब्जे काश्त अनुसार न्यायिक विभाजन

किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 22.5.2017 को निर्णय पारित कर वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलंटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत एवं अविधिक रूप से अपीलांटस की पीठ पीछे निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर बुधवाड़ा में अपीलांटस ने जवाब आदि देने व वकील नियुक्त करने का निवेदन किया था जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर करवाये गये थे किन्तु अपीलांटस ने निर्णय करने बाबत् कोई सहमति नहीं दी थी । शिविर में वादी भी उपस्थित नहीं था तथा ना ही कोई समझाईश हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने सहमति लिखकर लोक अदालत की भावना व न्यायिक प्रकिया के विपरीत जाकर अपीलांटस की पीठ पीछे निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि अपीलांटस की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांटस व अपीलांटस के पारिवारिक पूर्व खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा होकर अपीलांटस आज दिवस तक काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 641 रकबा 4–6–10 बीघा के 1/2 हिस्से का अपीलांटस के परिवार के संयुक्त खातेदार राजेन्द्र व सुरेन्द्र पुत्रगण रामलाल को बेचान किया एवं उनके द्वारा हाल खसरा नंबर का 1/2 हिस्सा रेस्पो0 को बेचान किया तथा अपीलांटस पूर्वजों के बंटवारे अनुसार हाल खसरा नंबर 1661 व 1662 पर काबिज है एवं रेस्पो0 संख्या नंबर 1666 व 1667 पर काबिज है । रेस्पो0 की नियत में खोट है उसने अपीलांटस को परेशान करने व भूमि हड़पने की नियत से अपीलांटस के कब्जे की भूमि पर अपना कब्जा बताकर झूंठे कथनों पर वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलांटस की पीठ पीछे डिक्री करवाया है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1661 व 1662 पर सिंचाई हेतु अपीलांटस ने 2 किलोमीटर दूर कुएं से पाईप लाईन डाल रखी है एवं उक्त खेतों में भी पाईप लाईन बिछा रखी है जिससे खेत की सिंचाई होती है जिसकी जानकारी रेस्पो0 को है एवं खसरा गिरदावरी से भी साबितज है । अपीलांटस सभी अनपढ़ व कम पढ़े लिखे है जिनको मात्र हस्ताक्षर करना आता है । अपीलांटस ने सद्भाविक रूप से हस्ताक्षर किये थे परन्तु बाद में रेस्पो0 संख्या 1 ने मिलीभगत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो विधि एवं न्यायिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार शिविल आयोजित होने पर प्रार्थी संख्या 1 से 3 लोक अदालत कैम्प बुधवाड़ा में वाद की जानकारी होने पर उपस्थित हुए एवं वकील नियुक्त कर जवाब आदि देने का निवेदन किया जिस पर शिविर में प्रार्थीगण के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं कैम्प पश्चात् तारीख पेशी की जानकारी करने को कहा गया । तत्पश्चात् प्रार्थीगण की बिना सहमति के

प्रार्थीगण की पीठ पीछे अधी0न्याया0 ने बिना जवाब साक्ष्य सबूत के पत्रावली में दिनांक 22.5.2027 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित कर दिये । इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के खसरा नबर 1661 व 1662 में दखल करने, बेदखल करने का प्रयास किया तब प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर वकील नियुक्त किया तब वकील ने प्रार्थीगण को जानकारी दी गई कि अप्रार्थी आपके कब्जे के खसरा नबर 1661 व 1662 को लेना चाहता है । प्राथमिक डिक्री में जवाब नहीं होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है जिससे आप प्राथमिक डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती देवें । जिस पर प्रार्थीगण ने वकील श्री खींवराज शर्मा से नकल हेतु दिनांक 8.8.2018 को आवेदन करवाया जिस पर दिनांक 10.8.2018 को नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को सूचित किया एवं दिनांक 20.8.2018 को नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा जानबूझकर जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गया इसलिये अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलांटस ने इस एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु भी कोई चाराजोही नहीं की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी एवं सयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है । अधी0न्याया0 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री कर बाई मीट्ए एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अपीलांटस ने पूर्व में पारिवारिक बंटवारा होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत दिनांक 28.5.2016 को पेश किया गया जिस पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर <u>प्रतिवादीगण/अपीलांटस</u> को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित कर वाद में आगामी तारीख पेशी नियत की । दिनांक 29.6.2016 की आदेशिका के अनुसार <u>प्रतिवादीगण/अपीलांटस</u> संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । तत्पश्चात् वाद में निर्णय पारित करने से पूर्व लगभग 5 पेशियां नियत की गई किन्तु <u>प्रतिवादीगण/अपीलांटस</u>

द्वारा उनके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अधी0न्यायाय0 के समक्ष कोई चाराजोही नहीं की गई है । यही नहीं निर्णय दिनांक 22.5.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट बुधवाड़ा में रखी गई थी । उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्वंय अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थिति प्रदान की है जिसकी ताईद अधी0न्याया0 की आदेशिका पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी होती है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित रहे किन्तु उनके द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने तथा जवाब दावा पेश किये जाने बाबत् कोई जाराचाही नहीं की गई है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन उचित प्रतीत नही होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा कैम्प में वाद को एकतरफा में निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है । अपीलांटस ने पूर्वजों के समय से पारिवारिक बंटवारा होने का कथन किया है किन्तु अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी उक्त पारिवारिक बंटवारा पेश नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रतिवादीगण/अपीलांटस की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाये गये है। यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति है तो वे अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपना ऐतराज पेश कर सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.5.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर